बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

संचिका संख्या – 15/औ0–16–01/2016– 392 (15) पटना, दिनांक : 21.03.2016

सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003, *Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 (COTPA)* को राज्य में प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या 335 (12), पटना दिनांक 02.04.2012 को विलोपित करते हुए प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार की अध्यक्षता में "राज्य तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति" (State Tobacco Control Coordination Committee (STCCC) की गठन की जाती है।

2. गठित की गयी समन्वय समिति में विभिन्न विभागों एवं स्वंयसेवी संस्थाओं के निम्नांकित सदस्य होंगे :–

1.	प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, बिहार सरकार, पटना	अध्यक्ष
2.	सचिव, स्वास्थ्य–सह–कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना	सदस्य सचिव
3.	खाद्य संरक्षा आयुक्त, बिहार सरकार	सदस्य
4.	निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवायें, बिहार सरकार	सदस्य
5.	राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार	सदस्य सह–समन्वयक
6.	राज्य सलाहकार, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार	सदस्य
7.	पुलिस महानिदेशक/अपर महानिदेशक, (मुख्यालय), बिहार सरकार	सदस्य
8.	प्रधान सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार	सदस्य
9.	प्रधान सचिव/सचिव, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार सरकार	सदस्य
10.	प्रधान सचिव/सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार	सदस्य
11.	प्रधान सचिव/सचिव पर्यटन विभाग, बिहार सरकार	सदस्य
12.	प्रधान सचिव/सचिव परिवहन विभाग बिहार सरकार	सदस्य
13.	प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार	सदस्य
14.	प्रधान सचिव/सचिव, कृषि विभाग, बिहार सरकार	सदस्य
15.	प्रधान सचिव/सचिव, विधि विभाग, बिहार सरकार	सदस्य
16.	प्रधान सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार	सदस्य
17.	जिला पदाधिकारी, पटना	सदस्य
18.	नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना	सदस्य
19.	डा0 विजय प्रताप सिंह, कैंसर सर्जन, पटना	सदस्य
20.	कार्यपालक निदेशक, सोशियो इकनॉमिक एण्ड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी (सीड्स), बिहार (NGO)	सदस्य
21.	कार्यपालक निदेशक, कैंसर अवरनेश सोसाईटी, पटना (NGO)	सदस्य

3. उक्त समिति के सदस्यों द्वारा तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम से संबंधित विभिन्न कार्यों के प्रभावी अनुपालन, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण आदि में सलाह/सहयोग अपेक्षित है, जो निम्नलिखित है :–

3.1 COTPA -2003 के विभिन्न धाराओं को पूरे राज्य में प्रभावी रूप से लागू कराने, चालान (दण्ड) व्यवस्था को सुदढ़ एवं प्रभावी करने तथा मूल्यांकन एवं अनुश्रवण में सहयोग करना।

3.2 तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम से संबंधित कार्यों का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हो ताकि केन्द्र सरकार के निदेश का अनुपालन सुनिश्चित हो पाये।

3.3 सभी जिलों में अनुश्रवण/समन्वय समितियों का गठन तथा उसकी बैठक नियमित रूप से त्रैमासिक अंतराल पर आयोजित किया जाय।

3.4 सुनिश्चित करना कि अधिकृत अधिकारी अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से अनुपालन कर रहे हैं तथा उनके द्वारा तम्बाकू नियंत्रण से संबंधित कितने मामलों में फैसला लिया गया है।

3.5 तम्बाकू संबंधित मामले पर निर्णय लेना तथा स्थानीय समितियों को सुझाव एवं मार्गदर्शन देना।

3.6 भारतीय तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम की धारा–5 के उल्लंघन के विशिष्ट मामलों में कार्रवाई शुरू करने तथा उचित सलाह देने हेतु।

3.7 STCCC की त्रैमासिक या अर्द्धवार्षिक मनोनित सदस्यों की बैठक सुनिश्चित करना तथा तम्बाकू नियंत्रण से संबंधित कार्यों का मूल्यांकन एवं अनुश्रवन करना।

3.8 तम्बाकू और संबद्ध उत्पादों के प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष/Surrogate विज्ञापन के बारे में शिकायत दर्ज कराने हेतु आम जनता को अवसर प्रदान करना तथा प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित कराना।

3.9 उक्त समिति की बैठक में 1/3rd सदस्यों के भाग लेने पर बैठक पूर्ण माना जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

21/3

(जितेन्द्र श्रीवास्तव)
सचिव, स्वास्थ्य विभाग,
बिहार सरकार।

ज्ञापांक संख्या : 392 (15) पटना, दिनांक: 21.03.2016

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में सर्वसाधारण के लिए अविलम्ब प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इस अधिसूचना की 300 प्रतियाँ स्वास्थ्य विभाग/ राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को उपलब्ध कराया जाय ।

21/3

सचिव, स्वास्थ्य विभाग,
बिहार सरकार।

ज्ञापांक संख्या : 392 (15) पटना, दिनांक: 21.03.2016

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली–110108 को सूचनार्थ प्रेषित ।

21/3

सचिव, स्वास्थ्य विभाग,
बिहार सरकार।

ज्ञापांक संख्या : 392(15)

पटना, दिनांकः 21.03.2016

प्रतिलिपि : मान्नीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

21/3

सचिव, स्वास्थ्य विभाग,
बिहार सरकार।

ज्ञापांक संख्या : 392(15)

पटना, दिनांकः 21.03.2016

प्रतिलिपि :

प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव स्वास्थ्य के निजी सहायक/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार/खाद्य संरक्षा आयुक्त, बिहार सरकार /पुलिस महानिदेशक/अपर महानिदेशक, मुख्यालय बिहार सरकार/ प्रधान सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार/प्रधान सचिव/सचिव, सूचना एवं जन संपर्क विभाग,बिहार सरकार/ प्रधान सचिव/सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार/प्रधान सचिव/सचिव पर्यटन विभाग, बिहार सरकार/ प्रधान सचिव/सचिव परिवहन विभाग, बिहार सरकार /प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग/ कृषि विभाग/विधि विभाग/श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार/डा0 वी0 पी0 सिंह/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार सरकार, पटना/ सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी आरक्षी अधीक्षक, बिहार/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना/सभी सिविल सर्जन, बिहार/सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार/सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बिहार/राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी/राज्य नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण, बिहार/सभी जिला नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण, बिहार/सभी क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधक/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति/कार्यपालक निदेशक, सोशियो इकनॉमिक एण्ड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी (सीड्स) पटना /कार्यपालक निदेशक, कैंसर अवरनेस सोसाईटी पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

21/3

सचिव, स्वास्थ्य विभाग,
बिहार सरकार।